रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223766
CG-DL-E-18122020-223766

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
No. 645] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 44/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 777(अ).—जहां कि "फ्थेलिक एनहाइड्राइड" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में व्यापार उपचार महानिदेशक (एतश्मिन पश्चात जिन्हें उक्त प्राधिकारी से संबंधित किया गया है) ने इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या कोरिया गणराज्य से विषयगत वस्तु का आयात अत्यधिक हुआ है और क्या ऐसे बढ़े हुए आयात के कारण हमारे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है या सारवान क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है, प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 अक्तूबर, 2019, जिसे दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के अनुसार जांच का कार्य शुरू किया था ।

और जहां कि उक्त प्राधिकारी के उल्लिखित द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच में प्राथमिक निष्कर्षों, जिसे फाइल संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 मई, 2020 के तहत जारी किया गया था और जिसे दिनांक 11 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करके, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 430(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय लगाया था;

और जहां कि अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय जांच के अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) कोरिया से होने वाले उक्त उत्पाद के आयात में बढ़ोतरी हुई है और इसे उक्त नियमावली तथा भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार की दृष्टि से "बढ़ा हुआ आयात" माना जा सकता है;

(ii) इस बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है;

(iii) इस भारत- कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत सीमा शुल्क को कम किए जाने या इसे समाप्त कर दिए जाने के कारण मूलत: उत्पादित वस्तु के आयात में हुई वृद्धि और हमारे घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है,

और उन्होंने उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 मई, 2020 के तहत जारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि की है और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और भारत में आयातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे सीमाशुल्क की दर में, अधिसूचना संख्या 29/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2020 के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा लगाए गए अनंतिम उपाय को अधिसूचित किए जाने की तारीख से, उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों में यथा विनिर्दिष्ट वृद्धि किए जाने के रुप में द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय को लागू किए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 11 और नियम 12 के उप नियम (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, दिनांक 6 जुलाई, 2020 से लगाए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय की अभिपुष्टि करती है और एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम संख्या 230ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"230ग	2917 35 00	सभी वस्तुएं	5.63";

(ii) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि, व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा सिफारिश किये गए रक्षोपाय उपाय को प्रभाव देने हेतु,-

(क) उक्त सारणी के क्रम संख्या 230क और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निहित किसी भी बात का प्रभाव 5 जुलाई, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू नहीं होगा, और

(ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 230ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निहित किसी भी बात का प्रभाव 5 जुलाई, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू नहीं होगा;

यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो ।"

[फा. सं. 354/51/2020-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 37/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 जिसे सा.का.नि. 651(अ), दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

No. 44/2020-Customs

G.S.R. 777(E).—Whereas in the matter concerning imports of "Phthalic Anhydride" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the Authority) initiated an investigation in terms of the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) *vide* initiation notification under F.No.22/8/2019-DGTR, dated the 1st October, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 1st October, 2019 in order to determine whether the imports of the subject goods from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry.

And whereas, on basis of the preliminary findings of the Authority in the Bilateral Safeguard investigation issued *vide* F.No.22/8/2019-DGTR, dated the 11th May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 11th May, 2020, the Central Government imposed provisional Bilateral Safeguard measure on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2020-Customs, dated the 6th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 430 (E), dated the 6th July, 2020 by making further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009.

And whereas, the Authority in its final findings in the Bilateral Safeguard investigation issued *vide* F.No.22/8/2019-DGTR, dated the 28th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 28th September, 2020, has concluded that-

(i) imports of the product from Korea have increased and constitute "increased imports" within the meaning of the Rules and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement;

(ii) the increased imports have caused serious injury and threatened to caused serious injury to the domestic industry;

(iii) there exists a causal link exists between the increased imports of the originating goods due to the reduction or elimination of custom duty under the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement and serious injury and threat of serious injury to the domestic industry,

and has confirmed its preliminary findings issued *vide* notification No. 22/8/2019-DGTR dated the 11th May, 2020 and recommended imposition of bilateral safeguard measure of increasing the rate of customs duty on subject goods originating in Korea RP and imported into India as specified in the aforesaid final findings, from the date of issue of the notification of imposition of provisional measure by the Central Government *vide* notification No.29/2020-Customs dated 6th July, 2020.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 11 and sub-rule (2) of rule 12 of the said rules, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, confirms the provisional bilateral safeguard measure imposed with effect from 6th July, 2020 and hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009, namely-

In the said notification-

(i) in the Table, after serial number 230B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"230C.	2917 35 00	All goods	5.63";

(ii) For the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that, to give effect to the bilateral safeguard measure, as recommended by the Director General of Trade Remedies, -

(a) nothing contained in serial number 230A and entries relating thereto in the said Table shall have effect up to and inclusive of the 5th day of July, 2022, and

(b) nothing contained in serial number 230C and entries relating thereto in the said Table shall have effect up to and inclusive of the 5th day of July, 2021;

unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/51/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 943(E), dated the 31st December, 2009 and was last amended *vide* notification No. 37/2020-Customs, dated the 20th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- Section (i), *vide* number G.S.R. 651 (E), dated the 20th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.18 21:26:35 +05'30'